

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1181

ANSWERED ON – 10/02/2026

‘Message on revising Income Tax Returns’

1181. Shri. Deepak Prakash:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state: -

- (a) Whether I.T. Department have issued large scale obtuse messages in the last week of December, 2025 requesting the tax payers to revise their returns in just 3-4 days;
- (b) If so, the precise reasons to put on hold Income Tax returns of honest tax payers especially senior citizens without quoting any discrepancies;
- (c) The number of such returns are pending with I.T. Deptt. as on 31st January, 2026 which are more than 90 days old; and
- (d) The steps Government is contemplating to process the refunds of tax payers especially the senior citizens in a time bound manner?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (b)

The CBDT has undertaken NUDGE (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) campaigns which are extensive technology-driven initiatives that leverage data analytics, legislative enablement, behavioral insights and digital communication platforms for improved

tax collection efficiency by shifting the focus from post-facto enforcement to preventive, technology enabled compliance in a non-intrusive manner. SAKSHAM is the seven stage strategy of implementation of NUDGE initiatives which comprises of :

1. Sankalan - Systematic compilation and collection of data/information from diverse sources
2. Anusandhan - Robust research, analysis and insight generation for risk identification
3. Kriyanvyan - Converting insight into actionable interventions for targeted outcomes
4. Sampark - Proactive communication to create awareness and guide compliance behaviour
5. Hastak - Handholding and facilitation to assist taxpayers in fulfilling obligations
6. Adhikaar - Ensuring rights, transparency and enablement, fostering trust and fairness
7. Mulyankan - Continuous monitoring and evaluation to measure impact and refine actions

Under these campaigns, communications are sent to select taxpayers to review and revise/update their ITRs already filed. The taxpayers are selected on the basis of advanced risk analysis identifying incorrect or non-reporting of assets or income, or excess claims of deductions or exemptions in their ITRs. The select taxpayers are mainly those who have not disclosed their foreign asset holdings or income or have claimed incorrect deductions u/s 80 G, 80GGC or 80E etc or have claimed excess exemptions.

The outcome of the SAKSHAM NUDGE campaigns in last two years is as under:

No of Updated/Revised ITRs filed	1.11 Cr.
Additional Tax Paid in updated ITRs u/s 140B (in Rs.)	6,976.50 Cr.
Total refund claim amount reduced/additional tax paid (in Rs.) (in December 2025)	1834.09 Cr
Revenue Impact of campaign (in Rs.)	8810.59 Cr.

- (c)** Out of total number of 8,79,62,234 I.T. returns filed for A.Y.2025-26 by the taxpayers till 4th February 2026, returns pending for processing for more than 90 days are: 24,64,044.
- (d)** There are no such measures contemplated.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1181

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 10 फ़रवरी, 2026/ 21 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

आयकर रिटर्न में संशोधन संबंधी संदेश

1181# श्री दीपक प्रकाश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आयकर विभाग ने दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में करदाताओं को मात्र 3-4 दिनों में अपने रिटर्न को संशोधित करने का अनुरोध करते हुए बड़े पैमाने पर अस्पष्ट संदेश जारी किए थे;
- (ख) यदि हाँ, तो बिना किसी विसंगति का हवाला दिए, ईमानदार करदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के आयकर रिटर्न को रोके रखने के सटीक कारण क्या हैं;
- (ग) 31 जनवरी, 2026 तक आयकर विभाग के पास लंबित ऐसे रिटर्नों की संख्या कितनी है जो 90 दिनों से अधिक पुराने हैं; और
- (घ) करदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की कर वापसी की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख) सीबीडीटी ने नज़ (मार्गदर्शन और सक्षम करने के लिए गैर-घुसपैठ वाले डेटा का उपयोग) अभियान शुरू किया है, जो फोकस को कार्योत्तर (पोस्ट फैक्टो) प्रवर्तन से निवारक, प्रौद्योगिकी सक्षम अनुपालन पर केंद्रित करके कर संग्रह दक्षता में सुधार के लिए डाटा विश्लेषण, विधायी सक्षमता, व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि और डिजिटल

संचार प्लेटफार्मों का लाभ उठाता है। सक्षम नज़ पहलों के कार्यान्वयन की सात-चरणीय कार्यनीति है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संकलन - विविध स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन और संग्रहण
2. अनुसंधान - जोखिम की पहचान के लिए मजबूत शोध, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि सृजन
3. क्रियान्वयन - लक्षित परिणामों के लिए अंतर्दृष्टि को व्यावहारिक उपायों में परिवर्तित करना
4. संपर्क - जागरूकता पैदा करने और अनुपालन व्यवहार को निर्देशित करने के लिए सक्रिय संचार
5. हस्तक - दायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने हेतु करदाताओं को मार्गदर्शन और सुविधा उपलब्ध कराना
6. अधिकार - अधिकारों, पारदर्शिता और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, विश्वास और निष्पक्षता को बढ़ावा देना
7. मूल्यांकन - प्रभाव को मापने और कार्यों को परिष्कृत करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन

इन अभियानों के तहत चुनिंदा करदाताओं को उनके पहले से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की समीक्षा करने और उसमें संशोधन/अद्यतन करने के लिए पत्र भेजे जाते हैं। करदाताओं का चयन उन्नत जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, जिसमें परिसंपत्तियों या आय की गलत या गैर-रिपोर्टिंग, या आयकर रिटर्न में कटौतियों या छूटों के अधिक दावों की पहचान की जाती है। चयनित करदाता मुख्य रूप से वे हैं जिन्होंने अपनी विदेशी परिसंपत्तियों या आय का खुलासा नहीं किया है या धारा 80जी, 80जीजीसी या 80ई आदि के तहत गलत कटौतियों का दावा किया है या अधिक छूटों का दावा किया है।

पिछले दो वर्षों में सक्षम नज़ अभियानों के परिणाम इस प्रकार हैं:

दाखिल किए गए अद्यतन/संशोधित आयकर रिटर्न की संख्या	1.11 करोड़
धारा 140बी के तहत अपडेट किए गए आयकर रिटर्न में भुगतान किया गया अतिरिक्त कर (रुपये में)	6,976.50 करोड़
भुगतान किया गया अतिरिक्त कर/किए गए कुल रिफंडों के दावे में कमी (रुपये में) (दिसंबर 2025 में)	1834.09 करोड़
अभियान का राजस्व पर प्रभाव (रुपये में)	8810.59 करोड़

(ग) करदाताओं द्वारा 4 फरवरी 2026 तक निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल किए गए कुल 8,79,62,234 आयकर रिटर्न में से 90 दिनों से अधिक समय से प्रसंस्करण के लिए लंबित रिटर्नों की संख्या 24,64,044 है।

(घ) ऐसे किसी उपाय पर विचार नहीं किया जा रहा है।
